کی جانی چاہیے۔ ایک مہینہ، دو مہینے جو بھی آپ چاہیں رکھیں
لیکن اس عرصے میں ان کا ڈسپوزل ہو جانا چاہیے۔
ضبطی اور قرقی کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں،
ضبطی قرقی کے بعد اریسٹ کی بات اس ایکٹ میں ہے۔ جو
اچھی بات ہے اور بہت لوگوں نے اپوز کیا ہے۔ خاص
طور سے اپوزیشن نے جس کی اخباروں میں بھرمار ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ ۵۰۰ روپے
کا قرض اگر کوئی غریب لیتا ہے اس کے قسط پر نہ دینے
پر تو بینک کے منیجر پولیس اور ہتھکڑی لے کر اس کے گھر میں
گھس جاتے ہیں۔ لیکن جن بڑے لوگوں پر لاکھوں کروڑوں
روپیہ بینکوں کا باقی ہے ان کو کوئی نہیں پکڑتا ہے۔
یہ بھید بھاؤ نہیں برتا جانا چاہیے۔
۲۰ پوائنٹ اکانومک پروگرام کے فلفلمنٹ
کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ بینک کی درخواست
کو سہل کیجیے۔ تبھی یہ پروگرام پورا ہوگا اور غریبوں
کی مدد ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس
بل کی تائید کرتا ہوں

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

DURG ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Half-an-Hour Discussion.

Shri Kashyap.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति जी, विश्वविद्यालय के छात्रों में मादक औषधियों की लत के बारे में जो मेरा प्रश्न सं० 135 था जिसका उत्तर 1 दिसम्बर, 1983 को हमें प्राप्त हुआ था वह मेरी राय में काफी नहीं था। इस बारे में एक आर्टिकिल "ट्रिब्यून" अखबार में 13.12.83 को छपा था। जिससे इस बारे में काफी जानकारी हमें मिली है। सुभाष जे० रैले का वह आर्टिकिल है जिसमें इण्डियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च ने जो स्टडी और सर्वे किया था, विश्वविद्यालयों में जो युवक और युवतियां हैं उनमें मादक द्रव्यों के प्रयोग से और इस तरह की कुछ अन्य दवाइयों के प्रयोग से बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और छात्रों में खासतौर से इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह सर्वे हुआ और इण्डियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च ने जो आंकड़े दिये हैं स्टडी के जिनमें बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में 33 परसेंट छात्र, छात्रायें इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बम्बई, लखनऊ, कानपुर आदि में तो यह सीमा 33 से भी बढ़ गई है और 50 परसेंट तक छात्र इसके शिकार पाये गए। भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, एल. एस. डी. आदि चीजों का प्रयोग बढ़ गया और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, देश के सामने एक स्थिति पैदा हो गई है कि अगर इतना बड़ा वर्ग देश का नशे में रहेगा तो वह निष्क्रिय हो जायेगा, कायर और निकम्मा हो जायगा। उनकी शिक्षा और देश के भविष्य का क्या होगा, इन सब बातों पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई भी स्टैडी या सर्वे नहीं किया गया। सरकार को या तो जानकारी नहीं है, जब कि बहुत से समाचार पत्रों में यह चीज छपी, लेकिन सरकार का यहां उत्तर आया कि इस तरह का कोई सर्वे या स्टैडी नहीं हुई। अब जब सरकार को पता ही नहीं है तो इसका समाधान भी सरकार के पास नहीं हो सकता। मेरी राय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए। वह समाधान सरकार किस तरह से करना चाहती है, कैसे करेगी, जब तक इस पर कोई विशेष सर्वे न हो तब तक पता नहीं लग सकता।

हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 अक्तूबर, 1982 को छपा था। दूसरे अखबारों में 18.12.82

को यहां तक छपा था कि हीरोइन मैदानी क्षेत्रों से खरीद कर विदेशी लोग ले जाते हैं और विदेशों में तो उसकी स्मगलिंग करते ही हैं, हमारे ही देश के कुछ हिस्सों में 20 हजार रुपए किलोग्राम की दर से खरीदते हैं और 80 हजार रुपए किलोग्राम की दर से खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में बेचते हैं। इस प्रकार की शिकायतें अखबारों में आई हैं। उससे हमें भी जानकारी मिली है और सरकार से भी जानकारी मिली है। विदेशी भी अगर इस धन्धे को करने लगे और हमारी सरकार उनको पकड़ न पाये, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे छात्रों और युवकों में इन द्रव्यों का उपयोग हो, उसके बाद भी सरकार सक्षम न हो, उसे उसकी जानकारी न हो, वह कोई कदम न उठा पाये, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। हमारी अगली नस्ल पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और देश के प्रति जो हमारी जागरूकता है, उत्तरदायित्व है, उससे हम बहकेंगे और इसके दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। खासतौर से इस बात का उत्तर आना चाहिए था, लेकिन जो उत्तर आया है वह यह है कि हम इसका प्रचार करेंगे।

मेरा कहना यह है कि यह काम केवल सैमिनार और प्रचार करने से समाप्त होने वाला नहीं है। हर स्थान पर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना जीवन के लिए घातक है फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं। मेरा कहना है केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा बल्कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोगों को यह चीजें उपलब्ध ही न हों।

ऐसे भी बहुत से मर्ज होते हैं, जिनमें इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वह दुकानदार, जिनके पास इनके डिस्ट्रिब्यूशन का साधन है, सप्लाई की व्यवस्था है, वह इन्हें उन लोगों को दे देते हैं जो इनका प्रयोग केवल मादकता के लिए, नशे के लिए करते हैं। डिस्ट्रिब्यूशन में सख्ती हो और वह इस तरह से हो कि कई जगह इन दवाओं का लिंक कर दिया जाए जिससे एक दवा से काम न चले, कई दवाओं के मिलाने से ही द्रव्य बने ताकि हरेक को यह उपलब्ध न हो। सरकार को इस बात की गारन्टी लेनी चाहिए। उसके पास इस तरह के आंकड़े होने चाहिये कितने मरीजों ने इन दवाओं का उपयोग मर्ज के लिए किया और कितनों ने नशे के लिए बाजार में इनको लेकर प्रयोग किया। सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हो सकते।

विज्ञान के जानने वालों ने राय दी है कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं। यह केवल ला एंड आर्डर का ही प्रश्न नहीं है, हमारे समाज-कल्याण मंत्री द्वारा ही अकेले इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसका सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्री और हमारे गृह मंत्री से भी है क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है। ला एंड आर्डर के साथ यह मैडिकल हैल्थ से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और वह किस तरह से इसे कंट्रोल करेंगे इससे भी जुड़ा हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो कानून इस समय है, क्या वह इतने यथेष्ट हैं जिनसे बिना किसी संशोधन के इन सारी बुराइयों को रोका जा सके ? यदि हैं, तो उनको कहां लागू किया जा रहा है ? लाखों-लाखों लोग जब इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो 10-20 के बन्द हो जाने से या 100-100 और 200-200 मुकदमे चलने से काम नहीं चलेगा। व्यापक रूप से कानून का आपको प्रयोग करना चाहिये।

अफीम खेतों में पैदा होती है। इसकी किस तरह से स्मगलिंग होती है, नशे के लिए देश में और विदेश में इसकी और चीजें बनाकर भेजी जाती हैं जिनसे मादक द्रव्य बनते हैं और नशा फैलता है, सरकार द्वारा इस पर सख्ती की

जाए। किसान पर सख्ती होती है, कि अधिकारी किस तरह से वह अफीम लेते हैं, उसकी जांच होती है, उसमें दूसरी चीजें मिला-कर उस अफीम को स्मगलिंग के लिए दूसरों को मुहैय्या कर देते हैं।

इस बात की चैकिंग होनी चाहिए कि ये चीजें कहां से आती हैं, कैसे उनका स्मगलिंग होता है और कैसे उन्हें बाजार में लाकर छात्र-छात्राओं को मुहैय्या करके उन्हें बिगाड़ा जाता है। अखबारों में आता है कि दिल्ली में लोग हीरोइन को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पता चला है कि देश के कुछ हिस्सों में उसे बीस हजार रुपए किलो पर खरीद कर अस्सी हजार रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। छात्र-छात्राएं तो नासमझ हैं। उन्हें इन चीजों के सेवन के दुष्परिणामों का पता नहीं होता। इन दुष्परिणामों का प्रचार अवश्य करना चाहिए, किन्तु केवल इसी से काम नहीं चलेगा। कानून में संशोधन करके इन चीजों के स्रोत को बन्द कर देना चाहिए, ताकि ये लोगों को उपलब्ध न हो सकें।

इस बारे में एक राष्ट्रव्यापी सर्वे कराना चाहिए कि ये दवाएं कितनी बनाई जाती हैं, कितनी प्रयोग में लाई जाती हैं, कितनी दवाओं का युवक-युवतियों द्वारा अवैध रूप से प्रयोग किया जाता है और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर्वे द्वारा यह सारी जानकारी मिलने पर सरकार को इस समस्या की गंभीरता का पता लग सकेगा।

जो लोग इन चीजों को मुहैय्या करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन करके उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा सजा देने का प्रावधान किया जाए।

THE MINISTER OF STATE OF TH MINISTRIES OF EDUCATION ANI CULTURE AND SOCIAL WELFARI (SHRIMATI SHEILA KAUL): Mi Chairman, Sir, while I agree with the Hor Member that the problem of drug abuse and for that : matter, the use of alcohol among the students, is a matter of concer for all of us, the problem needs to b reviewed in its proper perspective.

The studies conducted by independen research organisations referred to by the Hon. Member were, in fact, sponsored by the Ministry of Social Welfare betweer 1975-76, and completed in 1978. These studies went into the prevalence of drug abuse among college students in sever cities of the country, namely, Bombay, Delhi, Madras, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur and Varanasi. Besides, the Indian Council of Medical Research also sponsored a study of the problem among the students of Delhi University, which was completed in 1976.

These studies indicate that the incidence of drug abuse among students exist. An overwhelming percentage of students did not take any drug at all, including socially acceptable drugs like tobacco and alcohol. However, I appreciate the concern of the Hon. Member and would like to assure the House that the Government is fully alive to the problem and all possible measures are already being taken to keep the problem in check, if not to root it out completely.

The Government has been continuously making efforts to educate people about the evils of drinking and drug abuse through mass communication media and also by encouraging voluntary organisations to undertake educative publicity by giving them grants-in-aid Since the subject falls within the purview of the States, the Central Government has been impressing upon the States the need for every possible effort to wean students away from drinking habit. They were requested to ask all the Universities to exercise continued vigilance in this regard The Ministry of Education also silmilarly wrote to the Vice-Chancellors of lal the Central Universities.

In addition, the Ministry of Social Welfare has recently sponsored essay and debate competitions among students at University level with grants-in-aid from the Ministry. 22 Universities have so far responded to the proposal and have either held competition or are in the process of holding the competitions.

The progress of various programmes for enforcement of prohibition and prevention of drug abuse is reviewed periodically by a Central Prohibition Committee, which is represented by Ministers-in-charge of Prohibition in all the States/Union Territories. Besides, Union Ministries of Home, Industry, Finance, Chemicals and Fertilizers, Tourism and Health are also represented in the Committee.

Elaborate laws regulating the manufacture, use, possession, transport etc. of various drugs already exist. However, in order to make them more effective and stringent, a comprehensive legislation is presently under consideration. This will consolidate the existing provisions in various Acts into a uniform central law.

It is not correct to say that there is hardly any coordination among various Central Ministries dealing with the drug problem. The concerned Ministries are working in close coordination and consultation. I would like to assure the House that no effort is being spared to deal with the problem most effectively.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, नशीली दवाओं की जो लत छात्रों में पड़ गई है वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी चिन्ताजनक बात है। इसकी ओर जब सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो सरकार कोई ठोस बात नहीं बतला पाती। आज के उत्तर में भी मंत्री महोदय ने कोई भी ठोस बात नहीं कही है। आखिर इस लत के पीछे बुनियादी कारण क्या है ? किस कारण से यह लत पड़ती है ? सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का काम यह भी देखना है कि समाज में जो दूषित वातावरण बनता जा रहा है उसका छात्र-छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

पिछली बार जब यह चर्चा आई थी तब यह बात कही गई थी कि एक प्रोहिविशन कमेटी बनाई जायेगी जिसमें कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेण्ट्स लिए जायेंगे। उस कमेटी का फंग्शन उन दोषों को रोकना होगा जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेण्ट्स पर पड़ता है। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो नशा करने लगता है और जब हीरोइन कहती है तब वह छोड़ देता है—मैं समझता हूं इन बातों का असर भी हमारे स्टूडेण्ट्स पर बहुत पड़ता है।

(व्यवधान)

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्या आपने कोई सेन्ट्रल प्रोहिविशन कमेटी बनाई और उसके द्वारा, छात्रों पर जो फिल्मों तथा दूसरी बातों का जो दूषित प्रभाव पड़ रहा है, उसको रोकने का कोई प्रयास किया ?

मंत्री जी ने लेजिस्लेशन की बात भी कही है। आज बाजार में मेंड्रेक्स वगैरह नशीली दवायें सस्ते भाव पर मिल जाती हैं। जिस छात्र को खर्च के लिए 50 रुपए महीने मिलते है तो दो रुपए में ही नशा कर लेता है और दूसरी तरफ बिजनेसमैन के बच्चे शराब पीते हैं। सभी अखबारों में आया था कि आप इस सब्जेक्ट पर डिबेट्स आर्गेनाइज करेंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे।

उसमें दो पक्ष हो जाते हैं— एक उमरख्याम की रूबाइयां पढ़ता है और बताता है कि शराब कितनी सुन्दर चीज है। उसका वर्णन करता है और दूसरी ओर आप उसको रोकने वाले होते हैं। आपने कहा है कि कोई कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, जिसको बहुत से विश्वविद्यालयों

ने स्वीकार किया है। मुझे इसमें एक पक्ष नैगेटिव लगता है, दूसरे पक्ष को मौका मिलता हैं और वह ज्यादा अच्छी तरह बात कहता है, जिसका बुरा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन शराब, मादक दवाओं का छात्रों के जीवन पर, शारीरिक और मानसिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इन विचार गोष्ठियों और डिबेट में आप फंस जायेंगे, कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई ठोस योजना बनाइए, सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर मेरा सवाल है। 1 दिसंबर के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के द्वारा विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के छात्र शराब न पीयें तथा नशीली दवाओं का प्रयोग न करें इसके बारे में आपने करीब एक दर्जन कार्यवाहियों का उल्लेख किया है। कार्यवाहियों के जो असर पड़े हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

क्या आपको कोई सूचना मिली है कि विश्वविद्यालय इन खराब आदतों की रोकथाम के लिए सचेष्ट रहते हैं और आपके पत्रों का कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने जवाब दिए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

इन बुरी आदतों के विरुद्ध कितने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों तथा स्कूलों में वाद-विवाद आयोजित किए गए हैं। उनका छात्रों पर क्या असर पड़ा है ? पीने की आदतों म कहां तक कमी आई है और सरकार ने इस मद पर अब तक कितना खर्च किया है ?

केन्द्रीय प्रोहिबिशन कमेटी के कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में उसे कहां तक सफलता मिली है ?

सरकार इस प्रकार की खराब आदतों को रोकने संबंधी कानून कब तक बनाने का विचार रखती है और सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में क्या इस विषय को शामिल कर लिया गया है ?

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Sir, questions I will put later on. I am first forming the background.

Sir, this evil has to be tackled not only by the Government, but by all the people of the country. I say this because student population of our universities and colleges have become so much drug addicts that it has assumed a very serious dimension.

Sir, this problem exists not only in our country, but it is there in different countries also. It is in Canada, USA, Britain, France, Australia, Pakistan etc. These are the problems mainly found in the capitalist world.

MR. CHAIRMAN : Now, please put questions.

SHRI SUDHIR GIRI : Sir, these things are very rarely found in the socialist countries. Therefore, I think one of the main causes of the drug addiction is the capitalist system of our economy, because in such a system there is existence of inequality of income among its citizens. I am also a teacher of a college. I have found from my experience that those students who have got addicted to illicit drugs are those who have got some pocket money.

The poor students coming from villages have never been addicted to illicit drugs. I think the social system which exists in our country is also responsible for this drug addiction, e.g as in Canada, Australia, Pakistan, America or Japan. Will the Hon. Minister tell us : (a) whether their machinery is capable of tackling this drug addiction problem suitably, as is done in the socialist systems prevailing in different parts of the world ? (b) during the meeting of the Heads of different countries, it was learnt that India was used as a transit route for illicit traffic for different countries. Will Government exercise stricter vigilance on the points

through which such illicit drugs can enter India, and from India go to other parts of the world ? (c) Films are one of the causes of drug addiction. Will any member of the Central Prohibition Committee be deputed to the Censor Board to censor those films which have clearly depicted drug addition or drinking scenes etc. ? and (d) druggists and chemists have produced illicit drugs. When Government took measures, they went on strike, and they did not want to sell drugs required by genuine patients. Will Government take steps to nationalize the entire drug industry, which produces such life-saving drugs ? Will Government's policy be to nationalize the drug industry, so that the druggists and chemists who are running after profit, cannot thwart the efforts of Government to streamline its policy in the national interest ?

18.00 hrs.

श्री भूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, विद्यालयों के परिसरों में आज छात्र लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं –यह बात हर अखबार में बड़ी-बड़ी सुरखियों में प्रकाशित हो चुकी है। जो इस प्रकार की मादक द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति छात्रों में प्रवेश कर चुकी है, क्या इसको रोकने के लिए शिक्षा विभाग कोई कदम आगे बढ़ा रहा है ? क्या आप ऐसे कार्यक्रम बनायेंगे जिनस कि धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति को सदा के लिए समाप्त किया जा सके ?

क्या आप अपने करीकुलम में इस प्रकार की बात रख सकते हैं कि जिसमें कि छात्र मादक द्रव्यों को लेकर स्कूल के परिसर में न आ सकें ? आज सवाल तो यह है कि छात्र और गुरुजन दोनों साथ-साथ बैठकर पीते हैं। क्या आप इसके लिए कोई ऐसा कानून बनायेंगे जिससे कि आप सरपराइज्ड चेकिंग कर सकें और जिस छात्र के बारे में मालूम हो जाए कि परिसर में उसने धूम्रपान किया है या किसी गुरु ने किया है तो उनके खिलाफ आप सख्त कदम उठा सकें। यहां तक कि उनको निष्कासित करने तक का या अन्य कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे सकें। शायद इससे यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाए।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मान्य सदस्यों ने अपनी-अपनी राय इतने गम्भीर विषय के ऊपर जाहिर की है और मुझे खुशी है कि इसमें उन्होंने दिलचस्पी ली है। लेकिन मुझे इस बात का भी रंज है कि ऐसे मौके पर यहां इतने थोड़े से लोग हैं जबकि इतने गंभीर विषय पर यहां चर्चा हो रही है। अब इतने कम लोग यहां हैं कि अगर मैं कहूं तो किसके कान में मेरी बात जाएगी।

मैं जो बोल रही हूं वह एक मां के हृदय से बोल रही हूं। जब मैं यह देखती हूं कि हमारे बच्चे इस तरह से गुमराह हो रहे हैं तो मुझको बड़ी तकलीफ होती है। मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि किस तरीके से हम लोग मिलकर काम कर रहे है और सरकार बहुत संजीदगी से इसके ऊपर सोच रही है। मैंने यह भी कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हैल्थ मिनिस्ट्री, सोशल वेल्फेअर और एजूकेशन मिनिस्ट्री एवं आई० एण्ड बी० मिनिस्ट्री सब मिलकर इस मामले में काम करते हैं कि किस तरीके से जो पीने वाले है, पिलाने वाले हैं, या बेचन वाले है उनको ऐसा करने से रोका जाए। अगर यह बिकेगी नहीं तो शायद इसे कोई पी भी नहीं सकेगा, खरीद नहीं सकेगा। यह बात एक भाई ने कही है जो कि बहुत सही कहीं है कि इसके बारे में सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और वह खाली दवाई के लिए बिके।

अब यह सवाल आया कि इसके ऊपर हम कितना पैसा खर्च कर रहे है ? सोशल वेल्फेअर डिपार्टमेंट ने इस काम के लिए 15 लाख रुपए रखे हैं कि किस तरीके से इसको रोकने के बारे में पब्लिसिटी दे सकें और कैसे फिल्मों के जरिए से या और बातचीत के जरिए से इसको

रोका जा सके । पांच लाख रुपये हैल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए रखे हैं । यह तो शुरूआत है । अगर माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लेते रहेंगे तो हमें इसके लिए और भी ज्यादा पैसा मिलेगा । लेकिन हम देख रहे हैं कि हम इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं ।

इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी लाया जा रहा है जैसा कि 16 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं और हम इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ।

लेकिन असली चीज सोशल वर्क है । जब घर में देखेंगे कि घर साफ सुथरा है, पिताजी नहीं पीते हैं, चाचा नहीं पीते हैं, घर में कोई नहीं पीता है तो बच्चों पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा । अगर बच्चा देखेगा कि घर में सब पीते हैं तो हम भी एक चढ़ा लें तो क्या बात है । तो पहली बात तो यह है कि एटीट्यूड बदलना होगा, तरीका बदलना होगा, समाज का तरीका बदलना होगा । जब तक इस काम को नहीं करेंगे तब तक इसको महत्व नहीं मिलेगा, जितना हम चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. Tomorrow.

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday December 20, 1983/ Agrahayana 29, 1905 (Saka).